

प्रेषक,
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव
डा० जेड०एच० पी०जी० कालेज,
एटा।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-65 / 1980-31 / 2011-12 दिनांक 31/3/12

विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित विभागाध्यक्ष के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 12/02 दिनांक 21.02.2012 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक/शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-65/215-18/2011-12 दिनांक 09.06.2011 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा इसमें अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01. श्री अवधेश सिंह

विभागाध्यक्ष

भवदीय

20.3.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद

31/3/12

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-65 / / 2011-12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति 20/198 कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हरचन्दपुर, एटा।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
जेड० एच० पी०जी० कालेज
एटा।

पत्रांक— शि०स०/बी०टी०सी०/अनु० -65/21.5.18/2011-12 दिनांक 09.6.2011

विषय— निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक शून्य दिनांक 28.05.2011 के संदर्भ में स्ववित्तपोषित निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी मत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा इसमें अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. श्री प्रदीप कुमार | प्रवक्ता आधारीक |
| 2. श्री प्रेम चन्द्र राजपूत (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| 3. श्री विनय कुमार (अनुसूचित जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| 4. श्री राजकुमार | प्रवक्ता प्रविधि |
| 5. श्री बादाम सिंह (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता कला |
| 6. श्री राम प्रवेश मौर्या (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा |

एन०सी०टी०ई० नियमावली अपेडिक्स II के अनुसार विभागाध्यक्ष की मानकानुसार शिक्षण अनुभव न होने के कारण अनुमोदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

भवदीय

09.06.11

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-65 / /2011-12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय समिति ए-46 शांतिपथ तिलकनगर जयपुर (राजस्थान)।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हरचन्द्रपुर, एटा।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।